संख्या-4/2022/वे0आ0-2-134/दस-2022-141(वे0स0)/2009टी0सी0

प्रेषक,

पुष्पराज,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वित्त (वेतन आयोग),
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक : 12 अप्रैल, 2022**

विषय :- वित्तीय वर्ष 2022-2023 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-65 के अंतर्गत गठित समिति/प्रकोष्ठ हेतु प्राविधानित धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के पत्र संख्या-5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022, दिनांक 29 मार्च, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 में वेतन समिति, वित्त विभाग के प्राविधानित धनराशि रू0 103.96 लाख (रूपये एक करोड़ तीन लाख छियानबे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम 04 माहों (अप्रैल, 2022 से जुलाई, 2022 तक) के लिये निम्नलिखित मदों में व्यय को वहन करने के लिये निम्न शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदया आप के निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

क्र0 सं0	**मानक मदें**	**वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्राविधानित धनराशि (लाख रू0 में)**	**अप्रैल, 2022 से जुलाई, 2022 तक 04 माहों के लिये निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि (लाख रू0 में)**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1	01- वेतन	50.00	16.66
2	03- मँहगाई भत्ता	18.50	6.16
3	04- यात्रा व्यय	1.00	0.33
4	05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.50	0.16

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5	06- अन्य भत्ते	0.10	0.03
6	07- मानदेय	0.10	0.03
7	08- कार्यालय व्यय	1.00	0.33
8	11- लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1.00	0.33
9	12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.10	0.03
10	13- टेलीफोन पर व्यय	0.10	0.03
11	15- गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	4.00	1.33
12	16- व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	1.00	0.33
13	18- प्रकाशन	0.50	0.16
14	29- अनुरक्षण	1.00	0.33
15	42- अन्य व्यय	0.50	0.16
16	45- अवकाश यात्रा व्यय	1.00	0.33
17	46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1.00	0.33
18	47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	1.00	0.33
19	49- चिकित्सा व्यय	3.00	1.00
20	51- वर्दी व्यय	0.06	0.02
21	55- मकान किराया भत्ता	3.50	1.16
22	58- आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	15.00	5.00
	योग	103.96	34.57

(रूपये चौतीस लाख सत्तावन हजार मात्र)

2- उक्त धनराशि का व्यय मदवार ही किया जायेगा। धन का आवंटन ही व्यय के लिये अधिकार प्रदान नहीं करता, अतः जहां कहीं आवश्यक हो, व्यय के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3- उक्त धनराशि का व्यय शासन द्वारा शासकीय व्यय में मितव्ययता संबंधी समय पर निर्गत शासनादेशों तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के पत्र संख्या-5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022, दिनांक 29 मार्च, 2022 में जारी निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

4- प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान संख्या-65 लेखा शीर्षक-''2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-105-विशेष जांच आयोग-03-राज्य आयोग और समितियां- 0301-वेतन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

समिति का गठन'' की उपर्युक्त वर्णित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

पुष्पराज,
संयुक्त सचिव।

संख्या-4/2022/वे0आ0-2-134/दस-2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।

(2) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

(4) श्री सिद्धार्थ श्रीवास्तव, अपर निदेशक, वित्त, 6, नवीन भवन, उ0प्र0 सचिवालय।

(5) गार्ड फाइल।

पुष्पराज,
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।